

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/67/2021

प्रवेश तिथि
08-10-2021

निर्णय दिनांक
09-09-2022

01- कृष्ण पुत्र मोहन गुर्जर जाति गुर्जर, निवासी ग्राम हरनाथ की ढाणी, तन धीरपुर
तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

01- राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर दिनांक 22.02.2019
अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 343/2019

उपस्थित:-

01- श्री राजेश कुमार गुप्ता
01- श्री दीपक मीना

-वकील अपीलान्ट
-राजकीय अभिभाषक

:-निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 22.02.2019 प्रकरण संख्या 343/2019 जिसके द्वारा सम्वत 2075 में अपीलान्ट को ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर 653 रकवा 2.27 है0 किस्म किस्म बारानी द्वितीय में से 0.25 है0, 652 रकवा 2.80 है0 किस्म गैर मुमकिन खाल खद्वर में से 0.12 है0 एवं आराजी खसरा न0 656 रकवा 3.04 है0 किस्म बारानी द्वितीय में से 0.25 है0 में सरसो की फसल काशत किये जाने/पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर मौके से वेदखली/पैनल्टी/तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर में स्थित आराजी खसरा न0 653, 652, 656 किस्म बारानी द्वितीय/गैर मुमकिन खाल खद्वर के किसी भाग पर अपीलान्ट ने कोई कब्जा नहीं किया गया है, तथा न ही कोई फसल आदि अपीलान्ट द्वारा बोई गयी है। पटवारी हल्का हरसौरा ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा न0 653, 652, 656 किस्म बारानी द्वितीय/गैर मुमकिन खाल खद्वर वाके ग्राम धीरपुर में 0.62 है0 भूमि पर सरसो की फसल काशत कर अतिक्रमण करना बताया है। उपरोक्त अतिक्रमण बावत पटवारी हल्का द्वारा किसी प्रकार की पैमाईश नहीं की गई है। हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट की काशतकारी की आराजी एवं राजकीय भूमि की कोई पैमाईश नहीं की गयी है। जिसके बिना अपीलान्ट को सरकारी भूमि पर अतिक्रमी बताना न्यायोचित नहीं है, उक्त आलोच्य आदेश पटवारी हल्का हरसौरा की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है, उक्त प्रकरण में भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 91 (6) की पालना

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर

नहीं की गयी है, न ही पटवारी हल्का द्वारा पूर्व निर्णयों की कोई सत्यापित प्रतिलिपि उक्त प्रकरण में तहत अदालत के समक्ष पेश की गयी है, जिस कारण से पश्चातवर्ती अतिक्रमण को पटवारी हल्का द्वारा किसी भी प्रकार से साबित नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अप्रारत किया जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2019 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.05.2019 को प्राप्त हुई जब पटवारी हल्का द्वारा जानकारी अपीलान्त को दिनांक 21.05.2019 उस समय दिनांक 24.05.2019 को ही आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 24.05.2019 को सत्यप्रतिलिपि प्राप्त की गयी। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2019 से सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.05.2019 तक का समय एवं उसके पश्चात दिनांक 24.05.2019 तक का समय एवं उसके पश्चात अपील पेश करने तक का समय को कन्डोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद का पेश कर अपील अन्दर अवशिष्ट मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2019 को अप्रारत किया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा नम्बर 653, 652, 656 किस्म बरानी द्वितीय/गैर मुमकिन खाल खद्वर राजकीय भूमियाँ हैं, जिन पर किसी को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नहीं है, अवैध रूप से फसल काश्त /पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर अतिक्रमीयों के विरुद्ध तीन माह का सिविल कारावास/बेदखली/पैनल्टी से दण्डित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्त ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2019 के विरुद्ध यह अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 30.05.2019 को पेश की गयी है, जो करीब 3 माह बाद पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2019 की जानकारी अपीलान्त को दिनांक 21.05.2019 को होना अकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के विन्दु पर नरमी का रुख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्त का मुख्य कथन है, कि ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर में स्थित आराजी खसरा न0 653, 652, 656 किस्म बरानी द्वितीय/गैर मुमकिन खाल खद्वर के किसी भाग पर अपीलान्त ने कोई कब्जा नहीं किया गया है, तथा न ही कोई फसल आदि अपीलान्त द्वारा बोई गयी है। पटवारी हल्का हरसौरा ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्त द्वारा आराजी खसरा न0 653, 652, 656 किस्म बरानी द्वितीय/गैर मुमकिन खाल खद्वर वाले ग्राम धीरपुर में 0.82 हे0 भूमि पर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। उक्त प्रकरण में भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 91 (6) की पालना नहीं की गयी है, न ही पटवारी हल्का द्वारा पूर्व निर्णयों की कोई सत्यापित प्रतिलिपि उक्त प्रकरण में तहत अदालत के समक्ष पेश की गयी है, जिस कारण से पश्चातवर्ती अतिक्रमण को पटवारी हल्का द्वारा किसी भी प्रकार से साबित नहीं किया गया है। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया पटवारी हल्का हरसौरा द्वारा दिनांक 14.01.2019 अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट तैयार कर पेश की गयी प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी को जर्ब मोटिया हलक किया गया। दिनांक

राजकीय अभिभाषक (राजस्व)
अजमेर (राजस्थान)

28.01.2019 को अतिक्रमी तहत अदालत में उपस्थित होकर शपथ-पत्र पेश किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है, कि प्रकरण में वर्णित आराजी चाके ग्राम धीरपुर में किये गये अतिक्रमण को स्वयं ही हटा लिया गया है, अब वर्तमान उक्त भूमि पर मेरा कोई कब्जा नहीं रहा है, तथा उक्त भूमियों पर भविष्य में पुनः कब्जा नहीं करूंगा। दिनांक 22.02.2019 को पटवारी हल्का के बयान लिये गये पटवारी हल्का ने अपने बयान में अंकित किया गया है, कि अतिक्रमी कृष्ण पुत्र मोहन जाति गूर्जर निवासी हरनाथ की ढाणी द्वारा आराजी खसरा न0 653, 652, 656 रकबा 2.27, 2.80, 3.04 किस्म गैर मुमकिन खालखद्वर, वारानी द्वितीय ग्राम धीरपुर पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया था, जिसे पूर्व में धारा 91 के तहत कार्यवाही कर वेदखल किया गया था, उक्त अतिक्रमी द्वारा अब पुनः अतिक्रमण किया गया है, यह अतिक्रमी पश्चातवृत्ति है, और बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है, अर्थात् आदतन अतिचारी है। अतिक्रमी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र से स्पष्ट जाहिर है, कि अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया है, बयान पटवारी से भी जाहिर है कि अतिक्रमी कृष्ण पुत्र मोहन द्वारा आराजी खसरा न0 653, 652, 656 रकबा 2.27, 2.80, 3.04 किस्म गैर मुमकिन खालखद्वर, वारानी द्वितीय ग्राम धीरपुर पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया था, जिसे पूर्व में धारा 91 के तहत कार्यवाही कर वेदखल किया गया था, उक्त अतिक्रमी द्वारा अब पुनः अतिक्रमण किया गया है। मौका रिपोर्ट 24.02.2021 के अनुसार अपीलान्त का अभी भी उक्त आराजी पर अतिक्रमण है। यह अतिक्रमी पश्चातवृत्ति है, और बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है, तहत अदालत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिवत निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय की पालना में फर्द नीलामी व वेदखली की कार्यवाही की गयी है। पारित निर्णय न्यायोचित प्रक्रियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्त अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2019 यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली वाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अखिलेश कुमार पिपल)
अति० जिला कलेक्टर
अलीपुर (राज०)
(प्रथम) अलवर, (राज०)